सत्यमेव जयते

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

मणिपुर राज्य, जिला बिष्णुपुर, मणिपुर के बिषेणपुर में विष्णु का मंदिर के लिए धरोहर उप-विधि

Heritage Bye-Laws for Temple of Vishnu at Bishenpur in the Manipur State, District Bishnupur, Manipur

मणिपुर राज्य, जिला बिष्णुपुर, मणिपुर के बिषेणपुर में विष्णु का मंदिर के लिए धरोहर उप-विधि

Heritage Bye-Laws for Temple of Vishnu at Bishenpur in the Manipur State, District Bishnupur, Manipur

विषय-सूची		
अध्याय I प्रारंभिक		
1.1	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1
1.2	परिभाषाएं	2-4
अध्याय II प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम,1958, यथा संशोधित, की पृष्ठभूमि		
2.1	अधिनियम की पृष्ठभूमि	5
2.2	धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध	5
2.3	आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां	5-6
अध्याय III संरक्षित संस्मारक - मणिपुर राज्य, जिला बिष्णुपुर, मणिपुर के बिषेणपुर में विष्णु का मंदिर का स्थान और अवस्थिति		
3.1	संस्मारक का स्थान एवं अवस्थिति	7-8
3.2	संस्मारक की संरक्षित सीमा	8
	3.2.1 एएसआई रिकॉर्ड के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना	8
3.3	संस्मारक का इतिहास	8-9
3.4	संस्मारक का विवरण (वास्तुशिल्प विशेषताएं, तत्व, सामग्री आदि)	9
3.5	वर्तमान स्थिति	9
	3.5.1 संस्मारक की स्थिति- स्थिति का आकलन	9
	3.5.2 प्रतिदिन आने वाले लोगों की संख्या और कभी-कभी एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या	9
अध्याय IV स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में मौजूदा ज़ोनिंग, यदि कोई हो		
4.1	मौजूदा ज़ोनिंग	10
4.2	स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशानिर्देश	10
अध्याय V प्रथम अनुसूची एवं कुल स्टेशन सर्वेक्षण के अनुसार सूचना		
5.1	संस्मारक की सर्वेक्षण योजना	11
5.2	सर्वेक्षित आंकड़ो का विश्लेषण	11
	5.2.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण	11
	5.2.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण	11-12
	5.2.3 हरित/खुले स्थानों का विवरण	12-13
	5.2.4 परिसंचरण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र - सड़कें, फुटपाथ, आदि	13
	5.2.5 इमारतों की मौजूदा ऊंचाई	13
	5.2.6 राज्य संरक्षित संस्मारक और सूचीबद्ध धरोहर भवन	13

	5.2.7 सार्वजनिक सुविधाएं	14
	5.2.8 संस्मारक तक पहुंच	14
	5.2.9 अवसरंचनात्मक सेवाएं	14
	5.2.10 स्थानीय निकायों के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षेत्र का प्रस्तावित ज़ोनिंग	14
अध्याय VI संस्मारकों का वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व		
6.1	संस्मारक की वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व	15
6.2	संस्मारक की संवेदनशीलता	15
6.3	संरक्षित संस्मारक या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता	15-16
6.4	पहचान किया जाने वाले भूमि उपयोग	16
6.5	संरक्षित संस्मारक के अलावा अन्य पुरातात्विक धरोहरें	16
6.6	सांस्कृतिक परिदृश्य	16
6.7	महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य	16
6.8	खुली जगह और निर्माण का उपयोग	16
6.9	पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियां	17
6.10	संस्मारक और विनियमित क्षेत्रों से दिखाई देने वाला क्षितिज	17
6.11	पारंपरिक वास्तुकला	17
6.12	स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध विकास योजना	17
6.13	अनुमेय भवन संबंधी मापदंड	17
	6.13.1 मरम्मत और नवीनीकरण (प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में)	17
	6.13.2 पुनर्निर्माण	18
	6.13.3 नया निर्माण	18-20
6.14	आगंतुक सुविधाएं और प्रसाधन	20
अध्याय VII स्थल विशिष्ट सिफ़ारिशें		
7.1	स्थल विशिष्ट सिफ़ारिशें	21
7.2	अन्य सिफ़ारिशें	21

CONTENTS

CHAPTER I Preliminary		
1.1	Short title, Extent and Commencements	22
1.2	Definitions	23-24
CHAPTER II Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958, as amended		
2.1	Background of The Act	25
2.2	Provisions of the Act related to Heritage Bye-laws	25
2.3	Rights and Responsibilities of the Applicant	25-26
CHAPTER III Location and Setting of the Protected Monument –Temple of Vishnu at Bishenpur in the Manipur State, District Bishnupur, Manipur		
3.1	Location and Setting of the Monument	27-28
3.2	Protected boundary of the Monument	28
	3.2.1 Notification Map/ Plan as per ASI records	28
3.3	History of the Monument	28-29
3.4	Description of the Monument (architectural features, elements, materials etc.)	29
3.5	Current Status	29
	3.5.1 Condition of the Monument - condition assessment	29
	3.5.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers	29
CHAPTER IV Existing Zoning, if any, in the Local Area Development Plans		
4.1	Existing Zoning	30
4.2	Existing Guidelines of the local bodies	30
CHAPTER V Information as per First Schedule and Total Station Survey		
5.1	Survey Plan	31
5.2	Analysis of surveyed data	31
	5.2.1 Prohibited Area and Regulated Area details	31
	5.2.2 Description of built-up area	31-32
	5.2.3 Description of green/open spaces	32
	5.2.4 Area covered under circulation- roads, footpaths etc	33
	5.2.5 Existing heights of buildings	33
	5.2.6 State protected monuments and listed Heritage Buildings	33
	5.2.7 Public Amenities	33
	5.2.8 Access to the Monument	33
	5.2.9 Infrastructure services	33
	5.2.10 Proposed zoning of the area as per guidelines of the Local Bodies	34

CHAPTER VI **Architectural, Historical and Archaeological Value of the Monument**		
6.1	Architectural, historical and archaeological value	35
6.2	Sensitivity of the Monument	35
6.3	Visibility from the Protected Monument or area and visibility from Regulated Area	35
6.4	Land-use to be identified	35
6.5	Archaeological heritage remains other than the protected monument	36
6.6	Cultural landscapes	36
6.7	Significant natural landscapes	36
6.8	Usage of open space and constructions	36
6.9	Traditional, historical and cultural activities	36
6.10	Skyline as visible from the monument and from Regulated Areas	36
6.11	Traditional architecture	36
6.12	Developmental plan as available by the local authorities	37
6.13	Permissible Building related parameters	37
	6.13.1 Repair and Renovation (in Prohibited and Regulated Area)	37
	6.13.2 Reconstruction	37
	6.13.3 New Construction	37-39
6.14	Visitors facilities and amenities	39
CHAPTER VII **Site Specific Recommendations**		
7.1	Site Specific Recommendations	40
7.2	Other Recommendations	40

Annexure		
अनुलग्नक-I Annexure-I	मणिपुर राज्य, जिला बिष्णुपुर, मणिपुर के बिषेणपुर में विष्णु का मंदिर की सर्वेक्षण योजना Survey Plan of Temple of Vishnu at Bishenpur in the Manipur State, District Bishnupur, Manipur	41
अनुलग्नक-II Annexure-II	संस्मारक की अधिसूचना मणिपुर राज्य, जिला बिष्णुपुर, मणिपुर के बिषेणपुर में विष्णु का मंदिर Notification of the Monument - Temple of Vishnu at Bishenpur in the Manipur State, District Bishnupur, Manipur	42-43
अनुलग्नक–III Annexure–III	संस्मारक - मणिपुर राज्य, जिला बिष्णुपुर, मणिपुर के बिषेणपुर में विष्णु के मंदिर के परिवेशीय क्षेत्र के चित्र Images of the Monument – Temple of Vishnu at Bishenpur in the Manipur State, District Bishnupur, Manipur and its surrounding area	44-48

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधि विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम (22) के साथ पठित प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, **संरक्षित संस्मारक – "मणिपुर राज्य, जिला बिष्णुपुर, मणिपुर के बिषेणपुर में विष्णु का मंदिर"** के लिए निम्नलिखित धरोहर उप-विधि जिन्हें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के परामर्श से सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया है, को राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्य प्रणाली), नियम, 2011 के नियम 18 के उप नियम 2 द्वारा यथा अपेक्षित जनता से आपत्ति या सुझाव आमंत्रित करने के लिए एतद्वारा 11.08.2021 को प्रकाशित किया गया था।

यथा विनिर्दिष्ट दिनांक से पहले प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण द्वारा विधिवत विचार किया गया है।

इसलिए, अब प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ङ की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण, निम्नलिखित उप-विधि बनाता है, नामत:

"मणिपुर राज्य, जिला बिष्णुपुर, मणिपुर के बिषेणपुर में विष्णु का मंदिर" के लिए धरोहर उप-विधि

अध्याय I
प्रारंभिक

1.1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:-

(i) इन उप-विधियों को **संरक्षित संस्मारक – "मणिपुर राज्य, जिला बिष्णुपुर, मणिपुर के बिषेणपुर में विष्णु का मंदिर"** के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधि, 2025 कहा जाएगा।

(ii) ये संस्मारक के सम्पूर्ण प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र तक लागू होंगी।

(iii) इन उप-विधियों के प्रावधान किसी भी अन्य उप-विधि में निहित असंगतता के बावजूद प्रभावी होंगे, चाहे इन उप-विधियों के प्रारंभ होने से पहले या बाद में बनाए गए हों, या किसी उप-विधि के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी भी दस्तावेज़ में हों। इन उप-विधियों को किसी अन्य उप-विधि के अनुरूप बनाने के लिए इनमें संशोधन करना अनिवार्य नहीं होगा।

(iv) ये अधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगी।

1.2 परिभाषाएं:-

1. इन उप-विधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत दिए अनुसार परिभाषाएं सुविधा की दृष्टि से यहां पुन: लिखी गई हैं:-

(क) "प्राचीन संस्मारक" से कोई संरचना, रचना या संस्मारक, या कोई स्तूप या स्थान या दफ़नगाह या कोई गुफा, शैल-मूर्ति, शिला-लेख या एकाश्मक जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक रुचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत हैं -

(i) किसी प्राचीन संस्मारक के अवशेष,

(ii) किसी प्राचीन संस्मारक का स्थल,

(iii) किसी प्राचीन संस्मारक के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो ऐसे संस्मारक को बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(iv) किसी प्राचीन संस्मारक तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

(ख) "पुरातत्वीय स्थल और अवशेष" से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के ऐसे भग्नावशेष या अवशेष हैं या जिनके होने का युक्तियुक्त रूप से विश्वास किया जाता है, जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, और इनके अंतर्गत हैं-

(i) उस क्षेत्र से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो उसे बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(ii) उस क्षेत्र तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

(ग) "अधिनियम" से आशय प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित है;

(घ) "पुरातत्व अधिकारी" से भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद् से निम्नतर पद (श्रेणी) का नहीं है;

(ड.) ''प्राधिकरण'' से अधिनियम की धारा 20च के अधीन गठित राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(च) "सक्षम प्राधिकारी" से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पुरातत्व निदेशक या पुरातत्व आयुक्त की श्रेणी से नीचे न हो या समतुल्य श्रेणी का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो:

बशर्ते कि केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 20ग, 20घ और 20ङ के प्रयोजन के लिए भिन्न भिन्न सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(छ) ''निर्माण'' से किसी संरचना या भवन का कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उसमें ऊर्ध्वाकार या क्षैतिजीय कोई परिवर्धन या विस्तारण भी है, किन्तु इसके अंतर्गत किसी विद्यमान संरचना या भवन का कोई पुन:निर्माण, मरम्मत और नवीकरण या नालियों और जलनिकास सुविधाओं तथा सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों और इसी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण, अनुरक्षण और सफाई या जनता के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए आशयित सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण या जनता के लिए विद्युत की आपूर्ति और वितरण के लिए निर्माण या अनुरक्षण, विस्तारण, प्रबंध या जनता के लिये इसी प्रकार की सुविधाओं के लिए व्यवस्था शामिल नहीं हैं;

(ज) "सरकार" से आशय भारत सरकार से है;

(झ) अपने व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सहित "अनुरक्षण" के अंतर्गत हैं किसी संरक्षित संस्मारक को बाड़ से घेरना, उसे आच्छादित करना, उसकी मरम्मत करना, उसका पुनरूद्धार करना और उसकी सफाई करना, और कोई ऐसा कार्य करना जो किसी संरक्षित संस्मारक के परिरक्षण या उस तक सुविधाजनक पहुंच को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है;

(ञ) "स्वामी" के अंतर्गत हैं-

(i) संयुक्त स्वामी जिसमें अपनी ओर से तथा अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबंध करने की शक्तियॉ निहित हैं और किसी ऐसे स्वामी के हक-उत्तराधिकारी, तथा

(ii) प्रबंध करने की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्रबंधक या न्यासी और ऐसे किसी प्रबंधक या न्यासी का पद में उत्तराधिकारी;

(ट) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत है:

(ठ) "प्रतिषिद्ध क्षेत्र" से धारा 20क के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ड) "संरक्षित क्षेत्र" से कोई ऐसा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ढ) "संरक्षित संस्मारक" से कोई ऐसा प्राचीन संस्मारक अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ण) "विनियमित क्षेत्र" से धारा 20ख के अधीन विनिर्दिष्ट या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(त) "पुन:निर्माण" से किसी संरचना या भवन का उसकी पूर्व विद्यमान संरचना में ऐसा कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसकी क्षैतिजीय और ऊर्ध्वाकार सीमाएं समान हैं;

(थ) "मरम्मत और पुनरुद्धार" से किसी पूर्व विद्यमान संरचना या भवन के परिवर्तन अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अंतर्गत निर्माण या पुन:निर्माण नहीं होंगे।

2. इसमें प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का आशय वही अर्थ होगा जैसा अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों में समनुदेशित किया गया है।

अध्याय II

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम,1958, यथा संशोधित, की पृष्ठभूमि

2.1 अधिनियम की पृष्ठभूमि:

धरोहर उप-विधियों का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित संस्मारकों की सभी दिशाओं में 300 मीटर के अंदर भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दखल के बारे में मार्गदर्शन देना है। 300 मीटर के क्षेत्र को दो भागों में बॉटा गया है (i) **प्रतिषिद्ध क्षेत्र,** यह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र अथवा संरक्षित संस्मारक की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में एक सौ मीटर की दूरी तक फैला है और (ii) **विनियमित क्षेत्र,** यह क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में दो सौ मीटर की दूरी तक फैला है।

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण अथवा खनन का कार्य नहीं कर सकता जबकि ऐसा कोई भवन अथवा संरचना जो प्रतिषिद्ध क्षेत्र में 16 जून,1992 से पूर्व मौजूद था अथवा जिसका निर्माण बाद में महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति से हुआ था, विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना का निर्माण, पुन:निर्माण, मरम्मत अथवा पुनरुद्धार की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से लेना अनिवार्य है।

2.2 धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध:

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ङ और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधियों का विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम 22 में संरक्षित संस्मारकों के लिए उप-विधि बनाना विनिर्दिष्ट है। नियम में धरोहर उप-विधि बनाने के लिए मापदंडों का प्रावधान है। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें तथा कार्य निष्पादन) नियम, 2011, नियम 18 में प्राधिकरण द्वारा धरोहर उप-विधियों के अनुमोदन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट है।

2.3 आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां:

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ग में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत और पुनरुद्धार अथवा विनियमित क्षेत्र में निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन का ब्यौरा विनिर्दिष्ट है:

(क) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे भवन अथवा संरचना का स्वामी है जो 16 जून, 1992 से पहले प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मौजूद था अथवा जिसका निर्माण इसके उपरांत महानिदेशक के अनुमोदन से हुआ था तथा जो ऐसे भवन अथवा संरचना का किसी प्रकार की मरम्मत

अथवा नवीकरण का काम कराना चाहता है तो वह ऐसी मरम्मत और नवीकरण, जैसा भी स्थिति हो, को कराने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ख) कोई व्यक्ति जो किसी विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना अथवा भूमि का स्वामी है और वह ऐसी भूमि पर ऐसे भवन अथवा संरचना अथवा का कोई निर्माण अथवा पुन:निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण जैसी भी स्थिति हो, करना चाहता है तो वह निर्माण अथवा पुन:निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण जैसी भी स्थिति हो, के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ग) सभी संबंधित सूचना प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्य संचालन) नियम, 2011 के अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

अध्याय III

संरक्षित संस्मारक– मणिपुर राज्य, जिला बिष्णुपुर, मणिपुर के बिषेणपुर में विष्णु का मंदिर का स्थान और अवस्थिति

3.1 संस्मारक का स्थान और अवस्थिति:

चित्र 1: मणिपुर राज्य, जिला बिष्णुपुर, मणिपुर में बिषेणपुर में विष्णु के मंदिर का स्थान दिखाने वाला उपग्रह चित्र

मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले के बिष्णुपुर में विष्णु का मंदिर, जो बिष्णुपुर शहर में स्थित है, एक संरक्षित संस्मारक है, जो राज्य की राजधानी इंफाल शहर से लगभग 27 कि.मी. दूर है। जीपीएस निर्देशांक हैं: **अक्षांश**: 24°37'12" उत्तर; **देशांतर:** 93°45' 35" पूर्व

बिष्णुपुर मणिपुर के मध्य भाग में स्थित है जो भारत के उत्तर-पूर्वी भाग की तरह हरे-भरे और सुंदर परिदृश्यों से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र की विशेषता पहाड़ी इलाका है, बिष्णुपुर अपेक्षाकृत समतल घाटी में स्थित है, जो मंदिर के लिए एक मनोरम स्थान प्रदान करता है। शहर के आसपास के उपजाऊ मैदान खेती के लिए अनुकूल हैं, जिससे बिष्णुपुर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित है।

बिष्णुपुर शहर का नाम संरक्षित संस्मारक से लिया गया है, जो 15वीं शताब्दी का भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। संरक्षित संस्मारक शहर का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल है और मणिपुर के सबसे पुराने ईंट मंदिरों में से एक है। संरक्षित संस्मारक मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के माध्यम से इम्फाल से सड़क मार्ग द्वारा पहुँचा जा सकता है, जो बिष्णुपुर को पार करता है और मंदिर से लगभग 350 मीटर पूर्व में स्थित है। निकटतम हवाई अड्डा बीर टिकेंद्रजीत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इम्फाल है, जो संरक्षित संस्मारक के उत्तर-पूर्व में लगभग 22.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वहाँ से आगंतुक सड़क मार्ग से बिष्णुपुर पहुँच सकते हैं। हालांकि बिष्णुपुर में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, लेकिन नागालैंड में दीमापुर जो संरक्षित संस्मारक से लगभग 200 किलोमीटर दूर है, निकटतम प्रमुख रेल केंद्र के रूप में कार्य करता है। बिष्णुपुर के भीतर, स्थानीय परिवहन में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी शामिल हैं। अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल, बिष्णुपुर, संरक्षित संस्मारक के उत्तर में लगभग 950 मीटर की दूरी पर स्थित है।

3.2 संस्मारक की संरक्षित सीमा:

संरक्षित संस्मारक - **मणिपुर राज्य, जिला बिष्णुपुर, मणिपुर में बिषेणपुर में विष्णु के मंदिर** की संरक्षित सीमा **अनुलग्नक-I** में देखी जा सकती है।

3.2.1 एएसआई रिकॉर्ड के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना:

संरक्षित संस्मारक - **मणिपुर राज्य, जिला बिष्णुपुर, मणिपुर में बिषेणपुर में विष्णु के मंदिर** की राजपत्र अधिसूचना **अनुलग्नक-II** में देखी जा सकती है।

3.3 संस्मारक का इतिहास:

आमतौर पर माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 1467 ई. में राजा क्याम्बा (1467-1508 ई.) ने 1470 ई. में राजा थवाई निंगथौबा ने पोंग (ऊपरी बर्मा) के राजा चौफा खेखोम्बा के साथ गठबंधन में बर्मा की काबो घाटी में शान साम्राज्य के क्यांग के शासक को हराया था, मंदिर बनवाया था। युद्ध समाप्त होने के बाद, राजा थवाई निंगथौबा ने 'कयाम्बा' की उपाधि, जिसका अर्थ था कयांग का विजेता, धारण की। संधि की शर्तों के अनुसार विजित क्षेत्र को दोनों राजाओं के बीच समान रूप से विभाजित किया गया था और उपहारों का आदान-प्रदान किया गया था। पोंग के राजा द्वारा प्रस्तुत उपहारों में भगवान विष्णु की एक छोटी सी मूर्ति थी, जो मूल रूप से मणिपुर की थी, लेकिन राजा खेखोम्बा के पूर्वजों में से एक ने इसे युद्ध की ट्रॉफी के रूप में ले लिया था। राजा कयाम्बा ने भगवान विष्णु की मूर्ति प्राप्त की और बाद में इसे मणिपुर की पुरानी राजधानी विष्णुपुर (पूर्व में लामांगडोंग) में एक चिनाई वाले मंदिर में स्थापित किया। मूर्ति की स्थापना के बाद लामांगडोंग का नाम बदलकर बिष्णुपुर या बिषेणपुर कर दिया गया।

यह भी दावा किया जाता है कि मंदिर राजा चराईरोंगबा के शासनकाल (1697- 1709 ईसवी) का हो सकता है। राजा चराईरोंगबा के शासनकाल में वैष्णव धर्म का प्रचार-प्रसार तथा भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा को प्रमुखता मिली। शाही इतिहास में राजा क्याम्बा के काल में भगवान विष्णु की किसी मूर्ति की प्रस्तुति या विष्णु मंदिर के निर्माण का उल्लेख नहीं है। राजा

चराईरोंगबा के शासनकाल में ही ईंट भट्टे (चेक्सांग) की स्थापना हुई और मणिपुर में महलों और मंदिरों के निर्माण के लिए ईंटों का बड़े पैमाने पर उपयोग शुरू हुआ। इस अवधि के दौरान कुशल बर्मी कारीगरों ने मणिपुर का दौरा किया और मंदिरों तथा महलों के निर्माण में योगदान दिया। शैली और आकार के संदर्भ में विष्णु मंदिर में प्रयुक्त ईंटें चराईरोंगबा के शासनकाल की ईंटों के काम से अधिक मिलती-जुलती हैं।

3.4 संस्मारक का विवरण (वास्तुशिल्प विशेषताएँ, तत्व, सामग्री आदि):

मंदिर की योजना चौकोर है और यह एक थोड़े ऊँचे मंच पर खड़ा है। यह भगवान विष्णु को समर्पित था, लेकिन अब गर्भगृह में प्रतिमा नहीं रखी है। मंदिर की संरचना में अधिष्ठान (तहखाना); जंघा (भित्ति); मंदिर की दीवार और आकार; आयताकार अंतराल के साथ चौकोर गर्भगृह; दक्षिण की ओर आयताकार प्रवेश द्वार और एक कोरबेल छत से ढका हुआ है। गर्भगृह हॉल की छत ईंटों के जोड़, जब तक कि यह केंद्रीय अक्ष पर नहीं आ जाती, से अंदर की ओर मुड़ी हुई है। इस मंदिर की स्थापत्य शैली प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के बर्मा (म्यांमार) में इमारतों में अपनाई गई शैली के बहुत समान है। मंदिर पकी हुई ईंटों और चूने के गारे से बना है।

3.5 वर्तमान स्थिति:

3.5.1 संस्मारक की स्थिति - स्थिति आकलन:

संरक्षित संस्मारक और उसके संरक्षित क्षेत्र का रखरखाव और संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) का विशेष अधिकार क्षेत्र है। संरक्षित संस्मारक की वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाले चित्र **अनुलग्नक-III** में संलग्न हैं।

3.5.2 प्रतिदिन आने वाले लोगों की संख्या और कभी-कभी एकत्रित होने वाले लागों की संख्या:

औसतन प्रतिदिन लगभग 10-30 आगंतुक आते हैं। संरक्षित संस्मारक में कभी-कभार कोई भीड़ नहीं जुटती।

अध्याय IV

स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में विद्यमान क्षेत्रीकरण, यदि कोई हो

4.1 विद्यमान क्षेत्रीकरण:

संरक्षित संस्मारक बिष्णुपुर नगर परिषद, वार्ड संख्या 6 के अंतर्गत आता है। हालांकि, स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आज तक कोई ज़ोनिंग विनियम या मास्टर प्लान तैयार नहीं किया गया है।

4.2 स्थानीय निकायों के विद्यमान दिशानिर्देश:

निर्माण के लिए सामान्य दिशानिर्देश मणिपुर नगर पालिका अधिनियम, 1994 के तहत परिभाषित बिष्णुपुर नगर पालिका भवन उपनियम, 2000 के अनुसार हैं।

अध्याय V

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अभिलेख (रिकार्ड) में परिभाषित सीमाओं के आधार पर प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों की प्रथम अनुसूची नियम 21 (1)/टोटल स्टेशन सर्वेक्षण के अनुसार सूचना

5.1 मणिपुर राज्य, जिला बिष्णुपुर, मणिपुर में बिषेणपुर में विष्णु के मंदिर की सर्वेक्षण योजना:

सर्वेक्षण योजना **अनुलग्नक-I** पर देखी जा सकती है।

5.2 सर्वेक्षित आंकड़ों का विश्लेषण:

5.2.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र विवरण:

i. संरक्षित क्षेत्र लगभग 2,134 वर्गमीटर (0.53 एकड़) है।
ii. प्रतिषिद्ध क्षेत्र लगभग 50,382 वर्गमीटर (12.45 एकड़) है।
iii. विनियमित क्षेत्र लगभग 2,89,261 वर्गमीटर (71.48 एकड़) है।

5.2.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण:

i. **उत्तर:** संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में मुख्य रूप से आवासीय इमारतें हैं, जिनमें से ज़्यादातर एक मंज़िला घर हैं। प्रतिषिद्ध क्षेत्र में आवासीय इमारतों के अलावा, इमारतों के बीच में एक ट्यूबवेल, पक्की सड़कें और कुछ खुली जगहें हैं। विनियमित क्षेत्र की विशेषता आवासीय और व्यावसायिक इमारतों का मिश्रण है, जो शहर के जीवंत सामुदायिक जीवन को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में स्थानीय दुकानें, स्कूल और स्वास्थ्य सेवा जैसी आवश्यक बुनियादी संरचनाएँ शामिल हैं। खा लोअर स्कूल, थोंगियाओरोक ब्रिज और जगन्नाथ मंदिर जैसी इमारतें उत्तर-पूर्व दिशा में मौजूद हैं। थोंगजाओरोक नदी विनियमित सीमा के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और क्षेत्र के सुंदर परिदृश्य में योगदान देती है तथा निर्मित क्षेत्रों के चारों ओर कृषि भूमि है।

ii. **पूर्व**: प्रतिषिद्ध क्षेत्र में ज़्यादातर रिहायशी इमारतें हैं, साथ ही एक ट्यूबवेल, एक नाला और इमारतों के बीच में कुछ खुली जगहें भी हैं। विनियमित क्षेत्र में रिहायशी इमारतों और सामुदायिक बुनियादी ढांचे का संयोजन है। इसमें स्थानीय बाज़ार, छोटे व्यवसाय, बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन और शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं जो शहर के निवासियों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से निकटता कनेक्टिविटी और पहुँच को बढ़ाती है, वाणिज्यिक गतिविधि को बढ़ावा देती है और स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान करती है। कृषि भूमि भी इस दिशा में फैली हुई है, जो शहर के कृषि परिदृश्य में योगदान देती है और निर्मित वातावरण को एक सुरम्य पृष्ठभूमि प्रदान करती है। विनियमित क्षेत्र में दक्षिण-पूर्व दिशा में बिष्णुपुर कोर्ट, एसपी कार्यालय, सेना शिविर और एक मंदिर मौजूद है।

iii. **दक्षिण**: प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मुख्य रूप से आवासीय पड़ोस शामिल हैं, जिनमें सामुदायिक सुविधाएं जैसे स्कूल, स्वास्थ्य सेवा केंद्र और छोटे वाणिज्यिक प्रतिष्ठान शामिल हैं।

विनियमित क्षेत्र में मुख्य रूप से कृषि भूमि शामिल है, जिसमें दक्षिण-पूर्व दिशा में कुछ इमारतें मौजूद हैं। इनमें एक आर्मी कैंप, शॉपिंग सेंटर और एक तालाब शामिल हैं। इस भूभाग का धीरे-धीरे कृषि भूमि में तब्दील होना शहर की कृषि विरासत को बनाए रखता है।

iv. **पश्चिम**: प्रतिषिद्ध क्षेत्र में ज़्यादातर रिहायशी इमारतों के साथ-साथ कुछ व्यावसायिक इमारतें भी हैं। इमारतों के बीच पक्की सड़कें, नालियाँ और खुली जगहें हैं। विनियमित क्षेत्र में कुछ रिहायशी और व्यावसायिक इमारतों के साथ-साथ खुली कृषि भूमि भी है। कृषि क्षेत्र निर्मित क्षेत्रों के बीच-बीच में फैले हुए हैं, जो शहर के शहरी और ग्रामीण की ग्रामीण विशेषताओं के मिले-जुले रूप को दर्शाता है। इस दिशा में सड़क नेटवर्क बिष्णुपुर के अन्य हिस्सों को कनेक्टिविटी प्रदान करता है और आस-पास के क्षेत्रों तक पहुँच को आसान बनाता है। विनियमित क्षेत्र में मोइरंगथेम जल आपूर्ति के रूप में जाने जाने वाले एक जलाशय के साथ एक सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली है।

5.2.3 हरित/खुले स्थानों का विवरण:

i. **उत्तर**: संरक्षित संस्मारक के उत्तर में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के भीतर कुछ महत्वपूर्ण हरे भरे और खुले स्थान मौजूद हैं जो क्षेत्र की सुरम्य सुंदरता और पर्यावरण में योगदान करते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली थोंगजाओरोक नदी एक प्रमुख प्राकृतिक विशेषता है जिसके किनारों पर पेड पौधे हैं। नदी के चारों ओर और निर्मित क्षेत्रों के बीच में छोटे-छोटे बगीचे हैं जो खेती और मनोरंजन के लिए खुली जगह प्रदान करते हैं।

ii. **पूर्व**: प्रतिषिद्ध क्षेत्र में ज़्यादातर इमारतों के बीच में बगीचे हैं। विनियमित क्षेत्र में हरे भरे और खुले स्थान कृषि क्षेत्रों और छोटे सामुदायिक उद्यानों के मिश्रण से पहचाने जाते हैं। ये क्षेत्र स्थानीय कृषि के लिए महत्वपूर्ण हैं, फसलों की खेती के लिए भूमि प्रदान करते हैं और शहर की कृषि जीवन शैली को बनाए रखते हैं। इन खेतों के चारों ओर पेड़ों और वनस्पतियों की मौजूदगी हरियाली को बढ़ाती है जो निर्मित क्षेत्रों के लिए एक ताज़ागीपूर्ण परिवेश प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त खुली भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े मौजूद हैं जिनका उपयोग सामुदायिक समारोहों, बाहरी गतिविधियों और मनोरंजक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है जो निवासियों के समग्र कल्याण और सामाजिक जीवन में योगदान देता है। बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन के परिसर में खुली पार्किंग की जगह मौजूद है।

iii. **दक्षिण**: संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र में कुछ खुले स्थान मौजूद हैं जैसे कि इमारतों के बीच में बगीचे और हरे भरे क्षेत्र। विनियमित क्षेत्र में हरे भरे और खुले स्थानों की विशेषता व्यापक स्तर पर कृषि भूमि और कुछ सामुदायिक पार्क हैं। इन कृषि क्षेत्रों के बीच बिखरे हुए प्राकृतिक वनस्पति के टुकड़े हैं जिनमें पेड़ और छोटे-छोटे उपवन शामिल हैं, जो क्षेत्र की हरियाली को बढ़ाते हैं। ये हरे भरे स्थान न केवल एक सुरम्य वातावरण प्रदान करते हैं बल्कि स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने और शहर के पारंपरिक

परिदृश्य को संरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा, संरक्षित संस्मारक के विनियमित क्षेत्र में एक तालाब भी स्थित है।

iv. **पश्चिम**: संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र में हरे भरे और खुले स्थानों में इमारतों के बीच में बगीचे और प्राकृतिक वनस्पति के टुकड़े शामिल हैं। हालाँकि, विनियमित क्षेत्र में कृषि क्षेत्र, छोटे बगीचे और जलाशय के साथ प्राकृतिक वनस्पति के टुकड़े शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ खुले स्थानों का उपयोग सामुदायिक गतिविधियों जैसे कि बाहरी समारोहों और स्थानीय कार्यक्रमों के लिए किया जाता है जो निवासियों के लिए मनोरंजक अवसर प्रदान करते हैं।

5.2.4 परिसंचरण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र - सड़कें, फुटपाथ आदि:

संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में कई प्रकार की सड़कें हैं जिनमें मिट्टी की सड़कें और पक्की सड़कें शामिल हैं जो शहर के भीतर और आसपास के क्षेत्रों के साथ संपर्क की सुविधा प्रदान करती हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 (एनएच 2) एक प्रमुख राजमार्ग है जो बिष्णुपुर शहर से होकर गुजरता है और संरक्षित संस्मारक के पूर्व में लगभग 350 मीटर की दूरी पर स्थित है। एनएच 2 बिष्णुपुर और मणिपुर के अन्य हिस्सों के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क प्रदान करता है, जिसमें राज्य की राजधानी इंफाल भी शामिल है। मंदिर के उत्तर में थोंगजाओरोक नदी के समानांतर एक पक्की सड़क है, जो सुंदर दृश्य प्रस्तुत करती है और विभिन्न आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों को जोड़ती है। कई छोटी, स्थानीय सड़कें और रास्ते मंदिर को घेरे हुए हैं और आगंतुकों तथा स्थानीय लोगों दोनों के लिए सीधी पहुँच प्रदान करते हैं।

5.2.5 भवनों की मौजूदा ऊंचाई:

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र की सामान्य निर्मित विशेषता में भूतल से लेकर जी+1 ऊंचाई तक की इमारतें शामिल हैं जो मुख्य रूप से आवासीय इमारतें हैं, साथ ही कुछ वाणिज्यिक और सार्वजनिक इमारतें भी हैं। हालाँकि कुछ इमारतें ऐसी हैं जिनकी ऊँचाई जी+2, जी+3 है। इमारतों की ऊँचाई उत्तर दिशा में लगभग 3 मीटर से 7.5 मीटर तक है और कुछ इमारतों की ऊँचाई लगभग 10.5 मीटर है। संरक्षित संस्मारक की पूर्व दिशा में ऊँचाई की सीमा लगभग 3 मीटर से 9 मीटर तक होती है। हालाँकि, दक्षिण-पूर्व दिशा में बिष्णुपुर कोर्ट भवन मौजूद है जिसकी अधिकतम ऊँचाई 12.5 मीटर है। दक्षिण दिशा में इमारतों की ऊँचाई लगभग 3 मीटर से 9 मीटर तक है और ज़्यादातर भूतल संरचनाएँ मौजूद हैं। पश्चिम दिशा में इमारतों की ऊँचाई लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर तक है।

5.2.6 प्रतिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र के भीतर स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा राज्य संरक्षित संस्मारक और सूचीबद्ध धरोहर भवन, यदि उपलब्ध हों:

संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र में कोई भी राज्य संरक्षित स्मारक और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा सूचीबद्ध विरासत भवन मौजूद नहीं हैं।

5.2.7 सार्वजनिक सुविधाएं:

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में आवश्यक सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

5.2.8 संस्मारक तक पहुंच:

संरक्षित संस्मारक तक पक्की सड़क के ज़रिए पूर्वी द्वार से पहुँचा जा सकता है। यह सड़क आगे दक्षिण में एक और प्रमुख पक्की सड़क से जुड़ती है, जो संरक्षित संस्मारक से 350 मीटर पूर्व में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 2 (एनएच 2) से जुड़ती है। मंदिर के चारों ओर कई छोटी, स्थानीय सड़कें और रास्ते हैं जो आगंतुकों और स्थानीय लोगों दोनों के लिए सीधी पहुँच प्रदान करते हैं, जिससे मंदिर शहर के बुनियादी ढाँचे में सहजता से घुलमिल जाता है।

5.2.9 अवसंरचनात्मक सेवाएं (जल आपूर्ति, वर्षा जल निकासी, सीवेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग आदि):

संरक्षित संस्मारक पर नालियाँ मौजूद हैं और स्ट्रीट लाइटें उपलब्ध हैं। संरक्षित संस्मारक की संरक्षित सीमा के बाहर मुख्य द्वार के पास पार्किंग की जगह मौजूद है।

5.2.10 स्थानीय निकायों के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षेत्र का प्रस्तावित क्षेत्रीकरण):

संरक्षित संस्मारक बिष्णुपुर नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र में आता है। स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आज तक कोई ज़ोनिंग विनियम या मास्टर प्लान तैयार नहीं किया गया है।

अध्याय VI

संस्मारक का वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व

6.1 संस्मारक की वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व:

ऐतिहासिक महत्व: संरक्षित संस्मारक का ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। बिष्णुपुर में विष्णु मंदिर इस क्षेत्र के ऐतिहासिक विकास का प्रमाण है, जो अपने समय के सामाजिक-राजनीतिक और धार्मिक प्रभावों को दर्शाता है। इसकी निरंतर श्रद्धा और इसकी वास्तुकला का विस्तृत अध्ययन उस ऐतिहासिक संदर्भ की गहरी समझ प्रदान करता है जिसमें इसे बनाया गया था। मणिपुर में सबसे पुराने जीवित ईंट मंदिरों में से एक विष्णु मंदिर इस क्षेत्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अतीत की एक महत्वपूर्ण कड़ी का प्रतिनिधित्व करता है।

वास्तुकला मूल्य: विष्णु मंदिर का वास्तुकला मूल्य इसकी विशिष्ट डिजाइन विशेषताओं, अलंकृत नक्काशी, उन्नत निर्माण तकनीकों और सांस्कृतिक एकीकरण में निहित है। ये पहलू सामूहिक रूप से मणिपुर में ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व के एक मील के पत्थर के रूप में मंदिर के महत्व को उजागर करते हैं। विष्णु मंदिर अपनी अनूठी स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है, जो मणिपुर के मंदिर वास्तुकला की एक विशिष्ट विशेषता है।

6.2 संस्मारक की संवेदनशीलता (अर्थात विकासात्मक दबाव, शहरीकरण, जनसंख्या दबाव आदि):

बिष्णुपुर में विकास और आधुनिकीकरण के साथ ही भूमि और बुनियादी ढांचे की मांग भी बढ़ रही है। इस दबाव के कारण अतिक्रमण हो सकता है या आसपास के वातावरण में बदलाव हो सकता है, जो मंदिर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अवस्थिति को प्रभावित कर सकता है। आसपास के क्षेत्र जिसमें मंदिर स्थित है, में विकास परियोजनाएं परिदृश्य को बदल सकती हैं या उस पारंपरिक संदर्भ को बाधित कर सकती हैं, विकास गतिविधियों से स्थानीय पर्यावरण में बदलाव हो सकता है, जैसे वनों की कटाई या जल प्रवाह पैटर्न में बदलाव, जो मंदिर के आसपास के क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। स्थल के ऐतिहासिक और सौंदर्य मूल्यों को संरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह क्षेत्र भारत के भूकंपीय मानचित्र पर बहुत उच्च भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र (जोन V) में स्थित है।

6.3 संरक्षित संस्मारक या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता:

संरक्षित संस्मारक प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र की सभी दिशाओं से आंशिक रूप से दिखाई देता है। मंदिर की दृश्यता आंशिक रूप से आस-पास की इमारतों और आवासीय संरचनाओं से प्रभावित होती है। जबकि ये इमारतें आम तौर पर कम ऊंचाई वाली होती हैं, वे कुछ कोणों से मंदिर के दृश्यों को आंशिक रूप से अस्पष्ट कर सकती हैं। मंदिर के चारों ओर कृषि क्षेत्र और खुले स्थान की उपस्थिति कुछ सुविधाजनक स्थानों से स्पष्ट दृश्य प्रदान करती है। ये हरे भरे क्षेत्र मंदिर की प्रमुखता को बढ़ाते हैं, जिससे यह आसपास की सड़कों और रास्तों से अधिक स्पष्ट दिखाई देता है।

संरक्षित संस्मारक से दिखने वाले नज़ारे में मुख्य रूप से कम ऊंचाई वाली इमारतें हैं, जिनमें आवासीय इमारतें, कृषि क्षेत्र और कुछ व्यावसायिक संरचनाएं शामिल हैं। इमारतों के भीतर कुछ खुली जगहें हैं और संरक्षित संस्मारक से कुछ वनस्पतियाँ दिखाई देती हैं।

6.4 पहचान किया जाने वाला भूमि उपयोग:

कोई मास्टर प्लान नहीं होने के कारण इस क्षेत्र के लिए कोई भूमि उपयोग निर्दिष्ट नहीं है। हालाँकि, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र दोनों में भूमि का मौजूदा प्रमुख उपयोग आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक है। विनियमित क्षेत्र में संस्मारक की सीमा की ओर क्षेत्र कृषि प्रकृति स्वरूप का है, जिसके चारों ओर कृषि भूमि है।

6.5 संरक्षित संस्मारक के अतिरिक्त पुरातात्विक धरोहर अवशेष:

प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्र में संरक्षित संस्मारक के पास कोई ज्ञात पुरातात्विक विरासत अवशेष मौजूद नहीं हैं।

6.6 सांस्कृतिक परिदृश्य:

संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्र में कोई सांस्कृतिक परिदृश्य मौजूद नहीं है।

6.7 महत्वपूर्ण प्राकृतिक भू-दृश्य जो सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा है और पर्यावरण प्रदूषण से संस्मारकों को संरक्षित करने में भी सहायक है:

मंदिर को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने में मदद करने वाले कई महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य हैं। उत्तर की ओर थोंगजाओरोक नदी एक प्राकृतिक बफर प्रदान करती है, जो वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करती है और क्षेत्र के सौंदर्य को बढ़ाती है। मंदिर के आस-पास के विस्तृत कृषि क्षेत्र, विशेष रूप से उत्तर, दक्षिण और पूर्व में, प्रदूषकों को अवशोषित करने और वायु गुणवत्ता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

6.8 खुले स्थान और भवनों का उपयोग:

खुले स्थानों में मुख्य रूप से कृषि भूमि के साथ-साथ उद्यान और पार्क शामिल हैं जो शहर के निर्मित ढांचे के भीतर मिले-जुले रूप में हैं। वे निवासियों और आगंतुकों के लिए मनोरंजक क्षेत्र प्रदान करते हैं, इस प्रकार ये समुदाय के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। आसपास के कृषि क्षेत्र स्थानीय आजीविका का समर्थन करते हैं और शहर की ग्रामीण विशेषता को बनाए रखते हैं। इसके अतिरिक्त ये खुले स्थान प्राकृतिक बफर के रूप में कार्य करते हैं, प्रदूषण के स्तर को कम करते हैं और वायु की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, जिससे क्षेत्र के पारिस्थितिक स्वास्थ्य में योगदान मिलता है। हरे भरे और शांत परिवेश के साथ उनका सौंदर्य मूल्य, मंदिर के ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व को बढ़ाते हैं, जिससे विष्णु मंदिर के आसपास के खुले स्थान, समुदाय और मंदिर की विरासत के संरक्षण के लिए अभिन्न अंग बन जाते हैं।

6.9 पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ:

संरक्षित संस्मारक के साथ कोई पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधि जुड़ी नहीं है। वर्तमान में मंदिर में कोई मूर्ति या चित्र नहीं है और अब मंदिर में पूजा नहीं की जाती है।

6.10 संस्मारक और विनियमित क्षेत्रों से दिखाई देने वाला क्षितिज:

संरक्षित संस्मारक से क्षितिज मुख्य रूप से कम ऊंचाई वाला है, जिसमें आवासीय भवन, कृषि क्षेत्र और कुछ व्यावसायिक संरचनाएं शामिल हैं। संरक्षित संस्मारक के दक्षिण में विनियमित क्षेत्र से, मंदिर के चारों ओर कृषि क्षेत्र और खुले स्थान की उपस्थिति कुछ सुविधाजनक बिंदुओं से स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये हरे भरे क्षेत्र मंदिर की प्रमुखता को बढ़ाते हैं, जिससे यह आसपास की सड़कों और रास्तों से अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। अन्य दिशाओं से, मंदिर की दृश्यता आंशिक रूप से आस-पास की इमारतों और आवासीय संरचनाओं से प्रभावित होती है जो आम तौर पर कम ऊंचाई वाली होती हैं।

6.11 पारंपरिक वास्तुकला:

संरक्षित संस्मारक के आसपास शायद ही कोई पारंपरिक वास्तुकला मौजूद है।

6.12 स्थानीय प्राधिकरियों द्वारा यथा उपलब्ध विकास योजना:

संरक्षित संस्मारक बिष्णुपुर नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र में आता है। स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा कोई मास्टर प्लान/विकास योजना उपलब्ध नहीं है।

6.13 अनुमेय भवन संबंधी मापदंड:

6.13.1 मरम्मत और नवीनीकरण (प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में):

आंतरिक परिवर्तन और अनुकूली पुनः उपयोग की सामान्य रूप से अनुमति दी जा सकती है। हालाँकि, बाहरी परिवर्तन सक्षम प्राधिकारी द्वारा विस्तृत जाँच के अधीन होंगे। ऐसे परिवर्तन जिनमें रेट्रोफिटिंग/नवीनीकरण शामिल है, की अनुमति तब दी जा सकती है जब इमारत संरचनात्मक रूप से कमज़ोर या असुरक्षित हो या जब उस पर किसी प्राकृतिक आपदा का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो और नवीनीकरण अत्यंत आवश्यक हो। मूल इमारत शब्दावली और लेआउट के साथ-साथ निर्मित-खुले संबंधों का पालन किया जाना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति के अधीन इमारतों की सामान्य मरम्मत और रखरखाव की अनुमति होगी।

भवन/संरचनाओं में मरम्मत और नवीनीकरण संरक्षित संस्मारक और उसके आस-पास के क्षेत्रों की धरोहर विशेषताओं के अनुरूप और उससे मेल खाता होना चाहिए। एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लैमिनेट्स (एचपीएल), लैमिनेट्स, टाइलिंग या ग्लेज़िंग जैसी नई क्लैडिंग सामग्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। मरम्मत और नवीनीकरण कार्यों को करने में स्थानीय रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

6.13.2 पुनर्निर्माण:

पुनर्निर्माण को एएमएएसआर अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 2(त) में परिभाषित किया गया है तथा विनियमित क्षेत्र में पुनर्निर्माण की अनुमति एएमएएसआर अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ग(2) और एएमएएसआर (विरासत उपनियमों का निर्धारण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 के नियम 6(IV) और नियम 7 के अनुसार दी जाती है। किसी संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र के प्रतिषिद्ध या विनियमित क्षेत्र में स्थित किसी भी प्रकार के भवन या सरंचना, जो प्राकृतिक आपदाओं से ध्वस्त या क्षतिग्रस्त हो गयी है, और जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है, के मामले में पुनर्निर्माण की एएमएएसआर (विरासत उपनियमों का निर्धारण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 के नियम 16 के अनुसार दी जाती है। प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त भवन अथवा संरचना के पुनर्निर्माण की अनुमति उसी सीमा तक दी जाएगी जितनी कि क्षति हुई है। पुनर्निर्माण के मामले में पुरानी इमारत के प्रतिस्थापन के रूप में नई संरचना या इमारत को पहले से मौजूद संरचना के अनुसार उसी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सीमाओं का पालन करना होगा। अग्रभाग में असंगत सामग्री जैसे ग्लेज़िंग, मेटल क्लैडिंग, एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लैमिनेट्स (एचपीएल), टाइल्स, लैमिनेट्स के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। नई संरचना संरक्षित संस्मारक के धरोहर क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र के साथ मेल खाती और उसके अनुरूप होनी चाहिए।

6.13.3 नया निर्माण:

6.13.3 क प्रतिषिद्ध क्षेत्र:

एएमएएसआर अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20क(4) के अनुसार, संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर किसी भी सार्वजनिक कार्य या जनता के लिए आवश्यक परियोजना या अन्य निर्माण सहित किसी भी नए निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.13.3 ख विनियमित क्षेत्र:

चूँकि स्थानीय प्राधिकरियों द्वारा कोई भूमि-उपयोग योजना/मास्टर प्लान/ज़ोनिंग विनियम तैयार नहीं किया गया है, इसलिए इस धरोहर उप-विधि में निर्धारित ऊँचाई और अन्य भवन संबंधी मापदंड संरक्षित संस्मारक के विनियमित क्षेत्र में सभी प्रकार के निर्माण के लिए लागू होंगे। बिष्णुपुर नगर पालिका भवन उप-नियम, 2000 में निर्दिष्ट सभी विकास नियंत्रण मानदंड और भवन विनियम मणिपुर नगर पालिका अधिनियम, 1994 के तहत परिभाषित ऊंचाई और अन्य मापदंड जब भी संशोधित होंगे, लागू होंगे। हालाँकि, इस दस्तावेज़ में निर्दिष्ट ऊँचाई और अन्य मानदंड संरक्षित संस्मारक के विनियमित क्षेत्र में लागू होंगे।

1. स्थल पर नए निर्माण की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचना आदि सहित) या छत पर कोई अन्य सेवाएं:

विनियमित क्षेत्र के सभी जोनों में नए निर्माण या मौजूदा भवनों में परिवर्धन/परिवर्तन के लिए अधिकतम ऊंचाई सीमा **10.5 मीटर** (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जेनरेटर रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान की पेंटहाउस संरचनाओं या छत पर कोई अन्य सेवाएं आदि सहित) से अधिक नहीं होगी।

बेसमेंट के निर्माण को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

2. उपयोग:

i. क्षेत्र की मौजूदा प्रमुख आवासीय विशेषता को बनाए रखा जाना चाहिए।

ii. मौजूदा उपजाऊ कृषि भूमि को बरकरार रखा जाना चाहिए। संरक्षित संस्मारक के विनियमित क्षेत्र में कोई नया विकास क्षेत्र प्रस्तावित नहीं किया जाना चाहिए।

iii. संरक्षित संस्मारक के विनियमित क्षेत्र में मौजूदा कृषि भूमि-उपयोग पर केवल वही निर्माण अनुमेय हैं जो विशिष्ट छूट के अंतर्गत आते हैं। कृषि भूमि पर इन अनुमेय निर्माणों में कृषि से संबंधित निर्माण, खेतों में लगे लोगों के लिए आवास और सहायक भवन जैसे निर्माण शामिल हैं; जैसे कि फसलों के भंडारण, चारा, खाद, कृषि उपकरण और इसी तरह की अन्य गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने वाले निर्माण।

iv. जहां तक संभव हो, क्षेत्र में निर्मित एवं खुले स्थान का अनुपात बनाए रखा जाना चाहिए।

3. अग्रभाग डिज़ाइन:

i. किसी भी नए निर्माण का अग्रभाग डिजाइन न्यूनतम प्रकृति का होना चाहिए, ताकि यह संस्मारक और आसपास के क्षेत्र की समग्र विशेषता पर हावी न हो। अग्रभाग डिज़ाइन सूक्ष्म हो तथा मिट्टी के रंगों से पुता और चित्रित हो।

ii. बाहरी अग्रभाग पर बाहरी साज-सज्जा के लिए एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लेमिनेट्स (एचपीएल) और किसी भी अन्य सिंथेटिक सामग्री जैसी अंतर्वेधी सामग्रियों के उपयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

4. छत का डिज़ाइन:

जहाँ तक संभव हो, ढ़लानदार छत डिजाइन का पालन किया जा सकता है। इमारत की छत पर फाइबर ग्लास, पॉलीकार्बोनेट या इसी तरह की सामग्री का उपयोग करके अस्थायी प्रकृति की संरचनाओं का निर्माण करने से बचना चाहिए।

5. निर्माण सामग्री:

i. ईंट, पत्थर और सीमेंट जैसी निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा सकता है जो संरक्षित संस्मारक और उसके आसपास के क्षेत्र की विरासत विशेषता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालें।

ii. आधुनिक भवन निर्माण सामग्री जैसे एल्युमीनियम क्लैडिंग, कांच की ईंटें और अन्य सिंथेटिक टाइलें या सामग्री का बाहरी साज-सज्जा के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

6. रंग:

बाहरी रंग तटस्थ स्वरूप का होना चाहिए तथा संरक्षित संस्मारक के अनुरूप होना चाहिए, जैसे कि बफ बलुआ पत्थर का रंग, बेज तथा अन्य मिट्टी के रंग, जो संरक्षित संस्मारक तथा उसके आसपास के वातावरण के साथ कोई विपरीतता उत्पन्न न करें।

7. अन्य विनियम:

फुट-ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर, बहु-स्तरीय पार्किंग या ऐसी किसी भी परियोजना जैसे बड़े पैमाने पर सार्वजनिक अवसंरचना परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव विस्तृत विरासत प्रभाव आकलन रिपोर्ट के अधीन होगा।

6.14 आगंतुक सुविधाएँ और प्रसाधन:

जहां तक संभव हो, आगंतुकों की सुविधाओं और प्रसाधनों पर विचार किया जाना चाहिए।

अध्याय VII

स्थल विशिष्ट सिफारिशें

7.1 स्थल विशिष्ट सिफ़ारिशें:

i. उच्च भूकंपीय सक्रिय क्षेत्र (जोन V) में आम जनता की सुरक्षा के लिए स्थानीय निकायों द्वारा उठाए गए किसी भी उपाय की अनुमति दी जा सकती है।

ii. थोंगजाओरोक नदी के पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें वनस्पति और जीव शामिल हैं, को संरक्षित किया जाना चाहिए।

iii. संरक्षित संस्मारक या उसके आसपास के क्षेत्रों में एलईडी या डिजिटल साइन, प्लास्टिक फाइबर ग्लास या किसी अन्य अत्यधिक परावर्तक सिंथेटिक सामग्री का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

iv. संरक्षित संस्मारक के निकट, विशेषकर संरक्षित संस्मारक की चारदीवारी पर, होर्डिंग्स, बिलबोर्ड और पोस्टर के रूप में विज्ञापन लगाने की अनुमति नहीं होगी।

v. संरक्षित संस्मारक के आसपास आवागमन के लिए पर्यावरण अनुकूल वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है, ताकि वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन और कंपन के कारण संरक्षित संस्मारक पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सके।

vi. वर्षा जल संचयन आदि जैसी सर्वोत्तम प्रथाओं सहित हरित भवनों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।

7.2 अन्य सिफारिशें:

i. संरक्षित संस्मारक के बारे में व्यापक जनता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।

ii. जब भी मास्टर प्लान, जोनल प्लान या विकास योजना तैयार की जाए, तो उसमें राष्ट्रीय महत्व के सभी संरक्षित संस्मारकों और उनके प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

iii. क्षेत्र को प्लास्टिक और पॉलिथीन मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए।

iv. संरक्षित संस्मारक की निर्बाध दृश्यता सुनिश्चित करने के लिए फेरीवालों और विक्रेताओं को संरक्षित संस्मारक की चारदीवारी के आसपास कब्जा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।

v. सांस्कृतिक विरासत स्थलों और परिसरों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश https://nidm.gov.in/PDF/pubs/NDMA/20.pdf पर देखे जा सकते हैं।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

In exercise of the powers conferred by section 20E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, as amended, read with Rule 22 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and Other Functions of the Competent Authority) Rule, 2011, the following Heritage Bye-Laws for the Protected Monument **"Temple of Vishnu at Bishenpur in the Manipur State, District Bishnupur, Manipur"** prepared by the Competent Authority and in consultation with the Indian Institute of Technology, Kharagpur were published on 11.08.2021, as required by sub-rule 2 of Rule 18 of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, for inviting objections or suggestions from the public;

The objections/suggestions, received before the specified date have duly been considered by the National Monuments Authority in consultation with the Competent Authority.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of the Section 20E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, as amended, the National Monuments Authority, hereby makes the following bye-laws, namely:

Heritage Bye-Laws for "Temple of Vishnu at Bishenpur in the Manipur State, District Bishnupur, Manipur"

CHAPTER I
PRELIMINARY

1.1. Short title, Extent and Commencements:

(i) These bye-laws may be called the National Monuments Authority Heritage bye-laws 2025 of the Protected Monument – **"Temple of Vishnu at Bishenpur in the Manipur State, District Bishnupur, Manipur"**

(ii) They shall extend to the entire Prohibited and Regulated Area of the Protected Monuments.

(iii) The provisions of these bye-laws shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other bye-laws, whether made before or after the commencement of these bye-laws, or in any instrument having effect by virtue of any bye-laws. It shall not be obligatory to carry out amendments in these bye-laws to make them consistent with any other bye-laws.

(iv) They shall come into force with effect from the date of their publication.

1.2. Definitions: -

1. In these bye-laws, unless the context otherwise requires, -

(a) "ancient monument" means any structure, erection or monument, or any tumulus or place of interment, or any cave, rock sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for not less than one hundred years, and includes -

(i) the remains of an ancient monument,

(ii) the site of an ancient monument,

(iii) such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument, and

(iv) the means of access to, and convenient inspection of an ancient monument,

(b) "archaeological site and remains" means any area which contains or is reasonably believed to contain ruins or relics of historical or archaeological importance which have been in existence for not less than one hundred years, and includes:

(i) such portion of land adjoining the area as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving it, and

(ii) the means of access to, and convenient inspection of the area,

(c) "Act" means the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, as amended,

(d) "Archaeological Officer" means an officer of the Department of Archaeology of the Government of India not lower in rank than Assistant Superintendent of Archaeology,

(e) "Authority" means the National Monuments Authority constituted under Section 20F of the Act,

(f) "Competent Authority" means an officer not below the rank of Director of archaeology or Commissioner of archaeology of the Central or State Government or equivalent rank, specified, by notification in the Official Gazette, as the competent authority by the Central Government to perform functions under this Act:

Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify different competent authorities for the purpose of section 20C, 20D and 20E,

(g) "construction" means any erection of a structure or a building, including any addition or extension thereto either vertically or horizontally, but does not include

any re-construction, repair and renovation of an existing structure or building, or, construction, maintenance and cleansing of drains and drainage works and of public latrines, urinals and similar conveniences, or, the construction and maintenance of works meant for providing supply or water for public, or, the construction or maintenance, extension, management for supply and distribution of electricity to the public or provision for similar facilities for public,

(h) "Government" means The Government of India,

(i) "maintain", with its grammatical variations and cognate expressions, includes the fencing, covering in, repairing, restoring and cleansing of a Protected Monument, and the doing of any act which may be necessary for the purpose of preserving a Protected Monument or of securing convenient access thereto,

(j) "owner" includes:

(i) A joint owner invested with powers of management on behalf of himself andother joint owners and the successor-in-title of any such owner, and

(ii) Any manager or trustee exercising powers of management and the successor-in-office of any such manager or trustee,

(k) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(l) "Prohibited Area" means any area specified or declared to be a Prohibited Area under section 20A,

(m) "Protected Area" means any archaeological site and remains which is declared to be of national importance by or under this Act,

(n) "Protected Monument" means any ancient monument which is declared to be of national importance by or under this Act,

(o) "Regulated Area" means any area specified or declared to be a Regulated Area under section 20B,

(p) "re-construction" means any erection of a structure or building to its pre-existing structure, having the same horizontal and vertical limits,

(q) "repair and renovation" means alterations to a pre-existing structure or building, but shall not include construction or re-construction,

2. The words and expressions used herein and not defined shall have the same meaning as assigned in the Act or the rules made there under.

CHAPTER II

Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains(AMASR) Act, 1958, as amended

2.1 Background of the Act:

The Heritage Bye-Laws are intended to guide physical, social and economic interventions within 300 metres in all directions of the Protected Monument. The 300 metres area has been divided into two parts (i) the **Prohibited Area,** the area beginning at the limit of the Protected Area or the Protected Monument and extending to a distance of 100 metres in all directions and (ii) the **Regulated Area**, the area beginning at the limit of the Prohibited Area and extending to a distance of 200 metres in all directions.

As per the provisions of the Act, no person shall undertake any construction or mining operation in the Protected Area and Prohibited Area while permission for repair and renovation of any building or structure, which existed in the Prohibited Area before 16th day of June, 1992, or which had been subsequently constructed with the approval of Director General (DG), Archaeological Survey of India (ASI) and; permission for construction, re-construction, repair or renovation of any building or structure in the Regulated Area, must be sought from the Competent Authority.

2.2 Provision of the Act related to Heritage Bye-laws:

Section 20E of the AMASR Act, 1958, as amended and Rule 22 of the Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other function of the Competent Authority) Rules 2011, specifies framing of Heritage Bye-Laws for Protected Monuments.Ibid Rule provides parameters for the preparation of Heritage Bye-Laws. Rule 18 of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, specifies the process of approval of HeritageBye-laws by the Authority.

2.3 Rights and Responsibilities of Applicant:

Section 20C of the AMASR Act, 1958, as amended, specifies details of application for repair and renovation in the Prohibited Area, or construction or re- construction or repair or renovation in the Regulated Area as described below:

(a) Any person, who owns any building or structure, which existed in a Prohibited Area before 16th day of June, 1992, or, which had been subsequently constructed with the approval of the Director General and desires to carry out any repair or renovation of such building or structure, may make an application to the Competent Authority for carrying out such repair and renovation as the case may be.

(b) Any person, who owns or possesses any building or structure or land in any Regulated Area, and desires to carry out any construction or re-construction or repair or renovation of such building or structure on such land, as the case maybe, make an application to the Competent Authority for carrying out construction or re-construction or repair or renovation as the case may be.

a) It is the responsibility of the applicant to submit all relevant information and abide by the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011.

CHAPTER III

Location and Setting of the Protected Monument – Temple of Vishnu at Bishenpur in the Manipur State, District Bishnupur, Manipur

3.1 Location and Setting of the Monument:

The Temple of Vishnu at Bishenpur in the Manipur State, District Bishnupur, Manipur is a Protected Monument situated in the town of Bishnupur, which is approximately 27 km away from the city of Imphal, the state capital.

The GPS coordinates are: **Latitude**: 24°37'12" N; **Longitude:** 93°45' 35" E.

Bishnupur is located in the central part of Manipur, surrounded by green and scenic landscapes typical of the North-Eastern part of India. The region is characterized by hilly terrain, with Bishnupur situated in a relatively flat valley, providing a picturesque setting for the temple. The fertile plains around the town are conducive to farming making the economy of Bishnupur primarily agrarian.

Figure 1: Satellite image showing the location of the Temple of Vishnu at Bishenpur in the Manipur State, District Bishnupur, Manipur

The Protected Monument is situated in the centre of the town, surrounded by both buildings and extensive agricultural lands. To the North of the Protected Monument, Thongjaorok River flows from West to East, converging with the central plains of Manipur and feeding into the famous Loktak lake, situated to the South-East of Bishnupur.

The town of Bishnupur derives its name from the Protected Monument, a 15th century temple dedicated to Lord Vishnu. The Protected Monument is an important cultural landmark in the town and one of the oldest brick temples in Manipur. The Protected Monument is primarily accessible by road from Imphal via National Highway 2, which traverses Bishnupur and is situated approximately 350 meters East of the temple. The nearest airport is Bir Tikendrajit International Airport, Imphal, situated at a distance of approximately 22.4 kilometres North-East of the Protected Monument and from there, visitors can reach Bishnupur by road. Although there is no railway station in Bishnupur, Dimapur in Nagaland which is approximately 200 kilometres from the Protected Monument, serves as the nearest major rail hub. Within Bishnupur, local transportation includes auto-rickshaws and taxis, though public transport options may be limited compared to larger cities. The Inter-state Bus Terminal, Bishnupur, is located at a distance of approximately 950 meters to the North of the Protected Monument.

3.2 Protected boundary of the Monument:

The Protected Boundary of this Protected Monument- **Temple of Vishnu at Bishenpur in the Manipur State, District Bishnupur, Manipur** may be seen at **Annexure-I**.

3.2.1 Notification Map/ Plan as per ASI records:

Gazette Notification of Temple of Vishnu at Bishenpur in the Manipur State, District Bishnupur, Manipur may be seen at **Annexure-II.**

3.3 History of the Monument:

The temple is generally believed to be attributed to King Kyamba (1467-1508 CE) in 1467 CE. In 1470 CE, King Thawai Ningthouba, in alliance with King Choupha Khekhomba of Pong (Upper Burma), defeated the ruler of Kyang from the Shan Kingdom in the Kabow Valley, Burma. Following the conclusion of the war, King Thawai Ningthouba adopted the title 'Kyamba,' signifying the conqueror of Kyang. As per the terms of the treaty, the conquered territory was equally divided between the two kings, and gifts were exchanged. Among the gifts presented by the King of Pong was a small image of Lord Vishnu, which originally belonged to Manipur but had been taken as war trophies by one of King Khekhomba's predecessors. King Kyamba received the image of Lord Vishnu and subsequently installed it in a masonry temple at Vishnupur (formerly Lamangdong), the old capital of Manipur. Following the installation of the image, Lamangdong came to be renamed as Bishnupur or Bishenpur.

It is also claimed that the temple might belong to King Charairongba's reign (1697- 1709 CE). During the reign of King Charairongba, the propagation of Vaishnavism and the worship of Lord Vishnu and its incarnations gained prominence. The royal chronicle, do not reference the presentation of an image of Lord Vishnu or the construction of a Vishnu temple during the period of King Kyamba. It was during King Charairongba's reign that brick factory (chekshang) and the extensive use of bricks were introduced on a significant scale for the

construction of palaces and temples in Manipur. Skilled Burmese craftsmen visited Manipur during this period and contributed to the construction of temples and palaces. The bricks used in the Vishnu temple, in terms of style and size, bear closer resemblance to the brickwork characteristic of Charairongba's reign.

3.4 Description of Monument (architectural features, elements, materials etc.):

The temple has a square plan and stands on a slightly raised platform. It was dedicated to Lord Vishnu, but the image is no longer placed in the sanctum. The temple structure consists of Adhisthana (basement); Jangha (bhitti); wall and body of the temple; square garbhagriha with rectangular antarala; rectangular entrance porch facing South and covered by a corbelled roof. The ceiling of the sanctum hall is curved inward by the juxtaposition of bricks until it comes to central axis. The architectural style of this temple is very much akin to the style adopted in the buildings in Burma (Myanmar) of the early medieval period. The temple is built of burnt bricks and lime mortar.

3.5 Current Status:

3.5.1 Condition of Monument- condition assessment:

The maintenance and preservation of the Protected Monument is the exclusive domain of the Archaeological Survey of India (ASI). The photographs depicting the present condition of the Protected Monument are appended at **Annexure-III.**

3.5.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers:

The average footfall is approximately 10-30 visitors per day. No occasional gathering is associated with the Protected Monument.

CHAPTER IV

Existing zoning, if any, in the local area development plans

4.1 Existing zoning:

The Protected Monument lies under the Bishnupur Municipal Council, ward number 6. However, no zoning regulations or master plan has been prepared till date, by the local authorities.

4.2 Existing Guidelines of the local bodies:

The general guidelines for the construction are as per The Bishnupur Municipality Building Bye-laws, 2000 defined under the “Manipur Municipalities Act, 1994”.

CHAPTER V

Information as per First Schedule, Rule 21(1)/ total station survey of the Prohibited and the Regulated Areas on the basis of boundaries defined in Archaeological Survey of India records.

5.1 Survey Plan of Temple of Vishnu at Bishenpur in the Manipur State, District Bishnupur, Manipur

Survey Plan may be seen at **Annexure-I**.

5.2 Analysis of surveyed data:

5.2.1 Prohibited Area and Regulated Area details:

i. Protected Area is 2,134 Sqm (0.53 Acres) approximately
ii. Prohibited Area is 50,382 Sqm (12.45 Acres) approximately
iii. Regulated Area is 2,89,261 Sqm (71.48 Acres) approximately

5.2.2 Description of built-up area:

i. **North:** The Prohibited and Regulated Area of the Protected Monument predominantly consists of residential buildings which are mostly single storey houses. In the Prohibited Area, other than the residential buildings, a tube well, metalled roads and a few open spaces are interspersed between the buildings. The Regulated Area is characterized by a mix of residential and commercial buildings, reflecting the town's vibrant community life. Additionally, the area includes essential infrastructure such as local shops, schools, and healthcare facilities. Buildings such as Kha Lower School, Thongiaorok Bridge and Jagannath Temple are present in the North-East direction. The Thongjaorok River flows from West to East, along the Regulated boundary and contributes to the area's scenic landscape, supporting the agricultural lands that surround the built-up areas.

ii. **East:** Within the Prohibited Area, there are mostly residential buildings present along with a tube well, a drain and some open spaces interspersed between buildings. The Regulated Area features combination of residential buildings and community infrastructure. This includes local markets, small businesses, Bishnupur Police Station and educational institutions, catering to the needs of the town's residents. The proximity to National Highway 2 enhances connectivity and accessibility, fostering commercial activity and supporting the local economy. Agricultural lands also extend into this direction, contributing to the town's agrarian landscape and providing a picturesque backdrop to the built-up environment. In the South-East direction, there is Bishnupur Court, SP Office, Army camp and a temple present in the Regulated Area.

iii. **South:** The Prohibited Area consists primarily of residential neighbourhoods interspersed with community facilities such as schools, healthcare centres, and small commercial establishments. The Regulated Area comprises mainly agricultural lands with a few buildings present in the South-East direction. These include an Army camp, shopping centres, and a pond. The gradual transition of this landscape into agricultural lands, maintains the town's agrarian heritage.

iv. **West:** The Prohibited Area mostly consists of residential buildings along with a few commercial buildings. Metalled roads, drains and open spaces are interspersed between the buildings. In the Regulated Area there is a blend of a few residential and commercial buildings along with the presence of open agricultural land. Agricultural fields are interspersed with the built-up areas, reflecting the town's integration of urban and rural elements. The road network in this direction provides connectivity to other parts of Bishnupur and facilitates access to nearby regions. There is a public water supply system with a reservoir known as Moirangthem water supply in the Regulated Area.

5.2.3 Description of green/open spaces:

i. **North:** Within the Prohibited and Regulated Area, to the North of the Protected Monument, there are a few significant green and open spaces present, that contribute to the area's scenic beauty and environment. The Thongjaorok River, flowing from West to East, is a prominent natural feature, with its banks having open areas often lined with vegetation. Surrounding the river and interspersed among the built-up areas are small gardens, providing open spaces for farming and recreation.

ii. **East:** The Prohibited Area mostly consists of gardens interspersed among the buildings. In the Regulated Area, green and open spaces are characterized by a mix of agricultural fields and small community gardens. These areas are vital for local agriculture, providing land for the cultivation of crops and sustaining the town's agrarian lifestyle. The presence of trees and vegetation around these fields adds to the greenery, offering a refreshing contrast to the built-up areas. Additionally, small patches of open land is present which may be used for community gatherings, outdoor activities, and recreational purposes, contributing to the overall well-being and social life of the residents. There is open parking space present in the premises of Bishnupur Police Station.

iii. **South:** In the Prohibited Area of the Protected Monument there are a few open spaces present such as gardens and green areas interspersed among the buildings. In the Regulated Area, green and open spaces are characterized by extensive agricultural lands and some community parks. Scattered among these agricultural fields are patches of natural vegetation, including trees and small groves, which enhance the area's greenery. These green spaces not only provide a picturesque setting but also play a vital role in sustaining the local ecosystem and preserving the town's traditional landscape. Also, there is a pond situated in the Regulated Area of the Protected Monument.

iv. **West:** Within the Prohibited Area of the Protected Monument green and open spaces include gardens and patches of natural vegetation interspersed among buildings. However, the Regulated Area features a combination of agricultural fields, small gardens, and patches of natural vegetation along with a reservoir. Additionally, some open spaces are used for community activities, such as outdoor gatherings and local events, providing recreational opportunities for the residents.

5.2.4 Area covered under circulation- roads, footpaths etc:

Throughout the Prohibited and Regulated Areas of the Protected Monument, a variety of roads are present which includes earthen roads and metalled roads, facilitating connectivity within the city and with the surrounding areas. National Highway 2 (NH 2) is a major highway which passes through Bishnupur town and is located approximately 350 meters to the East of the Protected Monument. NH 2 provides a vital link between Bishnupur and other parts of Manipur, including the state capital, Imphal. To the North of the temple, a metalled road runs parallel to the Thongjaorok River, offering scenic view and connecting to various residential and commercial areas. Several smaller, local roads and pathways surround the temple and provide direct access for both visitors and locals, integrating the temple seamlessly into the town's infrastructure.

5.2.5 Existing Heights of buildings:

The general built character of the Prohibited and Regulated Area includes buildings ranging from ground level to G+1 in height which are predominantly residential buildings along with a few commercial and public buildings. However, there are some buildings which are G+2, G+3 in height. The height of the buildings ranges from approximately 3 meters to 7.5 meters in the North direction with a few buildings with the height of approximately 10.5 meters. The range of height varies from approximately 3 meters to 9 meters in the East direction of the Protected Monument. However, in the South-East direction, Bishnupur Court building is present which has maximum height of 12.5 meters. In the South direction the height of the buildings ranges from 3 meters to 9 meters approximately with mostly ground floor structures present. In the West direction, the height of the buildings ranges from approximately 3 meters to 3.5 meters.

5.2.6 State protected monument and listed heritage building by local authorities if Available within Prohibited/Regulated:

No state protected monuments and listed heritage buildings by local authorities, are present, within the Prohibited/Regulated Area of the Protected Monument.

5.2.7 Public amenities:

The Prohibited and Regulated Areas are provided with essential public amenities.

5.2.8 Access to the monument:

Access to the Protected Monument is facilitated from the East gate via a metalled road. This road further connects to another prominent metalled road in the South, which further connects to the National Highway 2 (NH 2), located 350 meters East of the Protected Monument. Several smaller, local roads and pathways surround the temple and provide direct access for both visitors and locals, integrating the temple seamlessly into the town's infrastructure.

5.2.9 Infrastructure services (water supply, storm water drainage, sewage, solid waste management, parking etc.):

Drains are present and street lights are available at the Protected Monument. Parking space is present outside the Protected Boundary of the Protected Monument near the main gate.

5.2.10 Proposed zoning of the area as per Local Bodies:

The Protected Monument lies under the jurisdiction of the Bishnupur Municipal Council. No zoning regulations or master plan has been prepared till date, by the local authorities.

CHAPTER VI

Architectural, historical and archaeological value of the monuments

6.1 Architectural, historical and archaeological value:

Historical Value: The Protected Monument holds immense historical value. The Vishnu Temple at Bishnupur is a testament to the region's historical evolution, reflecting both the socio-political and religious influences of its time. Its continued reverence and the detailed study of its architecture provide a deeper understanding of the historical context in which it was built. As one of the oldest surviving brick temples in Manipur, the Vishnu Temple represents a crucial link to the region's historical and cultural past.

Architectural Value: The Vishnu Temple's architectural value lies in its distinctive design features, ornate carvings, advanced construction techniques, and cultural integration. These aspects collectively highlight the temple's importance as a landmark of historical and architectural significance in Manipur. The Vishnu Temple is renowned for its unique architectural style, which is a distinctive feature of Manipur's temple architecture.

6.2. Sensitivity of the monument (e.g. developmental pressure, urbanization, population Pressure, etc.):

As Bishnupur experiences growth and modernization, there is an increasing demand for land and infrastructure. This pressure can lead to encroachment or changes in the surrounding environment, potentially impacting the temple's historical and cultural setting. Development projects in the vicinity might alter the landscape or disrupt the traditional context in which the temple is situated. Development activities can lead to changes in the local environment, such as deforestation or alterations in water flow patterns, which can affect the area around the temple. Maintaining the ecological balance is crucial to preserving the site's historical and aesthetic values. Also, this region lies in the very high seismically active zone (Zone V), on the seismic map of India.

6.3. Visibility from the protected monument or area and visibility from Regulated Area:

The Protected Monument is partially visible from all directions of the Prohibited and Regulated Area. The visibility of the temple is partly affected by nearby buildings and residential structures. While these buildings are generally low-rise, they can partially obscure views of the temple from certain angles. The presence of agricultural fields and open spaces around the temple provides clear sightlines from certain vantage points. These green areas enhance the temple's prominence, making it more visible from surrounding roads and pathways.

The views from the Protected Monument are predominantly low-rise buildings with a mix of residential buildings, agricultural fields, and some commercial structures. There are some open spaces within buildings and some vegetation visible from the Protected Monument.

6.4. Land- use to be identified:

Due to the absence of any master plan, there is no land use designated for the area. However, the existing major use of land in both the Prohibited and Regulated Area is residential, commercial, public and semi-public. In the Regulated Area, towards the boundary, the area is agrarian in nature, having agricultural land on all sides.

6.5. Archaeological heritage remains other than protected monument:

No known archaeological heritage remains are present near the Protected Monument in the Prohibited and Regulated Area.

6.6. Cultural landscapes:

There are no cultural landscapes present in the Prohibited and Regulated Area of the Protected Monument.

6.7. Significant natural landscapes that forms part of cultural landscape and also helps in protecting the monument from environmental pollution:

There are several significant natural landscapes that help protect the temple from environmental pollution. The Thongjaorok River to the North provides a natural buffer, reducing air and noise pollution while enhancing the area's aesthetic value. Extensive agricultural fields surrounding the temple, especially to the North, South, and East, play a crucial role in absorbing pollutants and maintaining air quality.

6.8. Usage of open space and constructions:

The open spaces predominantly consist of agricultural land as well as gardens and parks integrated within the built fabric of the town. They provide recreational areas for residents and visitors, thus improving the community's quality of life. Surrounding agricultural fields support local livelihoods and maintain the rural character of the town. Additionally, these open spaces act as natural buffers, reducing pollution levels and enhancing air quality, contributing to the ecological health of the area. Their aesthetic value, with green and serene surroundings, complements the temple's historical and architectural significance, making the open spaces around the Vishnu Temple integral to the community and the preservation of the temple's heritage.

6.9. Traditional, historical and cultural activities:

No traditional, historical and cultural activity is associated with the Protected Monument. At present, the temple has no idols or images and is no longer worshipped.

6.10. Skyline as visible from the monument and from Regulated Areas:

The skyline from the Protected Monument is predominantly low-rise with a mix of residential buildings, agricultural fields, and some commercial structures. From the Regulated Area to the South of the Protected Monument, the presence of agricultural fields and open spaces around the temple provides clear line of sight from certain vantage points. These green areas enhance the temple's prominence, making it more visible from surrounding roads and pathways. From other directions, the visibility of the temple is partly affected by nearby buildings and residential structures which are generally low-rise.

6.11. Traditional architecture:

There is hardly any traditional architecture present around the Protected Monument.

6.12. Developmental plan, as available, by the local authorities:

The Protected Monument lies under the jurisdiction of the Bishnupur Municipal Council. No master plan/developmental plan is available by the local authorities.

6.13. Permissible Building related parameters:

6.13.1 Repair and Renovation (in Prohibited and Regulated area):

Internal changes and adaptive reuse may be generally permitted. However, external changes shall be subject to detailed scrutiny by the Competent Authority. Such changes which include retrofitting/renovation may be permitted when the building is structurally weak or unsafe or when it has been adversely impacted by any natural calamity and renovation is absolutely necessary. Original building vocabulary and layout along with built area and open area relationships are to be adhered to. General repair and upkeep of buildings will be permissible, subject to prior permission from the Competent Authority.

The repair and renovation in building/structures should be sympathetic and congruous with the heritage character of the Protected Monument and its surrounding areas. New cladding materials like Aluminum Composite Panels (ACP), High Pressure Laminates (HPL), laminates, tiling or glazing will not be permitted. Use of locally available building material should be encouraged in carrying out repair and renovation works.

6.13.2 Reconstruction:

Reconstruction is defined in Section 2(k) of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958, as amended. Permission for reconstruction in Regulated Area is accorded as per Section 20 C(2) of the AMASR Act, 1958, as amended, and Rule 6 (IV) and Rule 7 AMASR (Framing of heritage Bye-laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011. In case of any type of building or structure located in the Prohibited or Regulated Area of the Protected Monument or Protected Site, collapsed or damaged and found beyond repair due to natural calamities, the permission for reconstruction is accorded as per Rule 16 of AMASR (Framing of heritage Bye-laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011. Reconstruction of building or structure damaged due to natural calamity shall be permissible only to the extent it is damaged. The new structure or building as a replacement to the older building in case of reconstruction shall follow the same horizontal and vertical limits as per the pre-existing structure. The use of incongruous materials in the facade such as glazing, metal cladding, Aluminium Composite Panels (ACP), High Pressure Laminates (HPL), tiles, laminates will not be permissible. The new structure should be sympathetic and congruous with the heritage character of the Protected Monuments and its surrounding area.

6.13.3 New Construction:

6.13.3.A Prohibited Area:

As per Section 20A(4) of AMASR Act, 1958, as amended, no new construction including carrying out any public work or project essential to the public or other construction, shall be permitted within the Prohibited Area of the protected monument.

6.13.3.B Regulated Area:

Since no land-use plan/ master plan/ zoning regulations have been prepared by the local Authorities, the height and other building related parameters prescribed in this Heritage Bye-Laws will be applicable for all types of construction in the Regulated Area of the Protected Monument. All the development control norms and building regulations specified in the The Bishnupur Municipality Building Bye-laws, 2000 defined under the 'Manipur Municipalities Act, 1994' as and when amended shall be applicable. However, the height and other parameters specified in this document shall be applicable in the Regulated Area of the Protected Monument.

1. **Height of the new construction on the site (including mumty, parapet, water storage tank, machine room, HVAC unit, solar panel, rain water harvesting system, penthouse structures of terrace garden etc.) or any other services on the roof:**

   The maximum height limit for new construction or additions/alteration to existing buildings in all Zones of the Regulated Area shall not exceed **10.5 metres** (including mumty, parapet, water storage tank, machine room, generator room, HVAC unit, solar panel, rainwater harvesting system, penthouse structures of terrace garden etc. or any other services on the roof).

   Construction of the basement should be discouraged.

2. **Usage:**

   i. The existing predominant residential character of the area should be maintained.

   ii. The existing fertile agricultural land should be retained. No new development zones in the Regulated Area of the Protected Monument should be proposed.

   iii. In the Regulated Area of the Protected Monument, only constructions that fall under specific exemptions are permissible on the existing agricultural land-use. These permissible constructions on agricultural land include agro related constructions, construction like dwellings and ancillary buildings for the people engaged in the farms; like those used for storage of crops, fodder, manure, agricultural tools and other similar activities.

   iv. The built and open space ratio of the area should be maintained as far as feasible.

3. **Façade design:**

   i. The façade design of any new construction should be minimalistic in nature, so that it does not overpower the monument and the overall character of the surrounding area. The facade design should be subtle, and plastered and painted in earthy colours.

   ii. Use of intrusive materials such as Aluminium Composite Panel (ACP), High Pressure Laminates (HPL) and any other synthetic material for exterior finishes on the exterior facade should be discouraged.

4. **Roof design:**

   Sloping roof design may be followed as far as feasible. Erection of Structures, even of temporary nature, using materials such as fibre glass, polycarbonate or similar materials should be discouraged on the roof of the building.

5. **Building material:**

   i. Building materials like brick, stone and cement may be used which are non-intrusive to the heritage character of the Protected Monument and its surroundings area.

   ii. Modern building materials such as aluminium cladding, glass bricks and any other synthetic tiles or materials should be discouraged for exterior finishes.

6. **Colour:**

   The exterior colour should be of a neutral tone and in harmony with the Protected Monument such as buff sandstone colour, beige and other earthy colours which do not create a harsh contrast with the Protected Monument and its immediate surroundings.

7. **Other Regulations:**

   Proposal for construction of any large-scale public infrastructure project like foot-over bridges, flyover, multi-level parking or any such project shall be subject to a detailed Heritage Impact Assessment report.

6.14 Visitor facilities and amenities:

Visitor facilities and amenities should be considered as far as feasible.

CHAPTER VII

Site Specific Recommendations

7.1 Site Specific Recommendations:

i. Any measures taken by the local bodies for the safety and security of the general public in the high seismically active zone (Zone V) may be permitted.

ii. The Thongjaorok River ecosystem including the flora and fauna should be protected.

iii. LED or digital signs, plastic fibre glass, or any other highly reflective synthetic material should not be used for signages in the vicinity of the Protected Monument or its immediate surrounding areas.

iv. No advertisements in the form of hoardings, bill-boards and posters to be permitted near the Protected Monument, especially on the boundaries of the Protected Monument.

v. Use of eco-friendly vehicles for movement in the vicinity of the Protected Monument may be encouraged to mitigate adverse impacts on the Protected Monument due to vehicular emissions and vibrations.

vi. Construction of green buildings including best practices like rainwater harvesting, etc should be encouraged.

7.2 Other recommendations:

i. Extensive public awareness programme about the Protected Monument may be conducted.

ii. Whenever the Master Plan, Zonal Plan or Development Plan is prepared, it should clearly show all the Protected Monuments of National Importance and their Prohibited and Regulated Areas.

iii. The area should be declared as Plastic and Polythene free zone.

iv. Hawkers and vendors should not be encouraged to occupy the boundary of the Protected Monument to ensure unobstructed visibility of the Protected Monument.

v. National Disaster Management Guidelines for Cultural Heritage Sites and Precincts maybe referred at https://nidm.gov.in/PDF/pubs/NDMA/20.pdf

अनुलग्नक
ANNEXURES

अनुलग्नक–I
ANNEXURE–I

मणिपुर राज्य, जिला बिष्णुपुर, मणिपुर के बिषेणपुर में विष्णु का मंदिर की सर्वेक्षण योजना

Survey Plan of Temple of Vishnu at Bishenpur in the Manipur State, District Bishnupur, Manipur

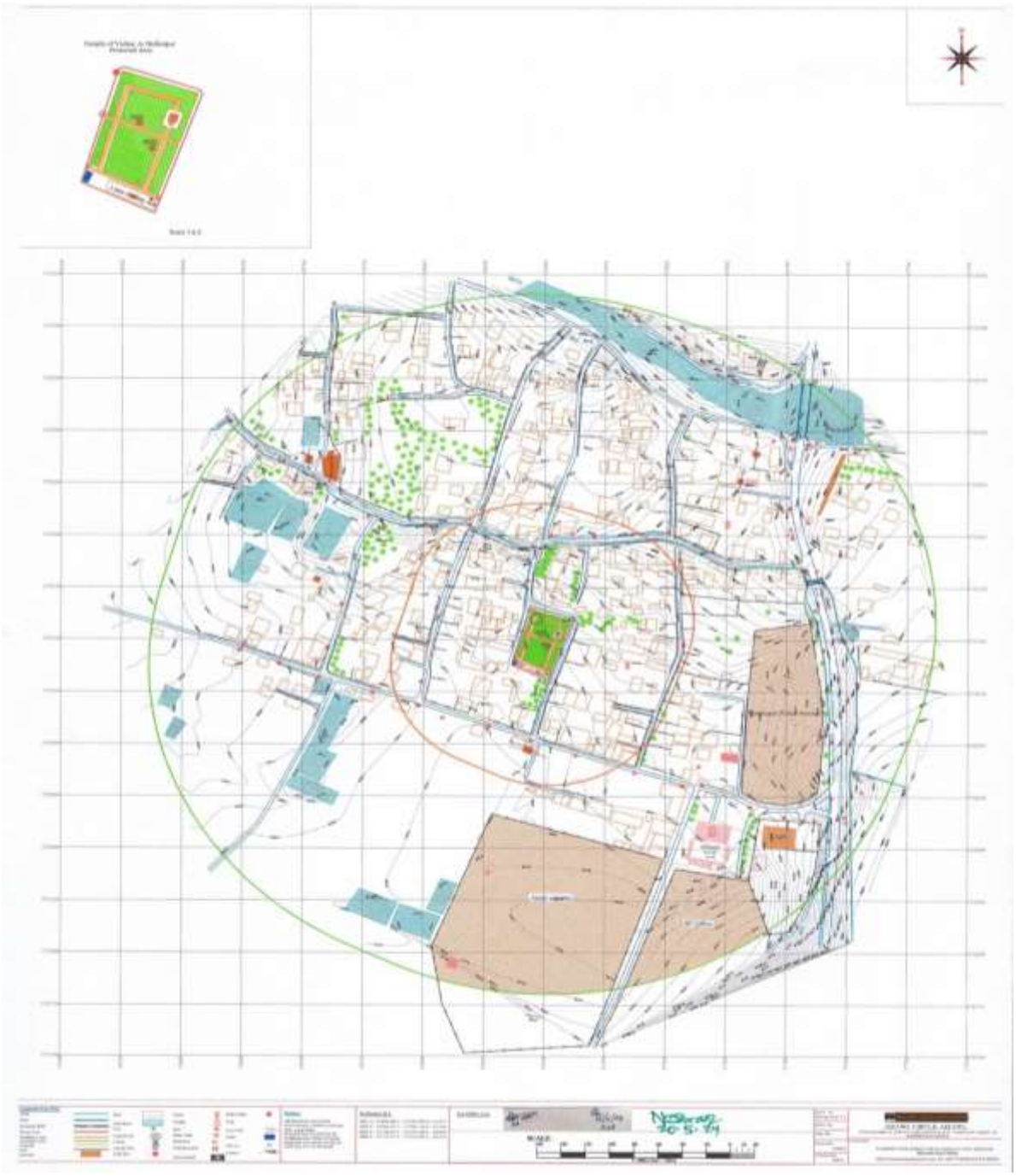

अनुलग्नक-II

ANNEXURE-II

संस्मारक की अधिसूचना मणिपुर राज्य, जिला बिष्णुपुर, मणिपुर के बिषेणपुर में विष्णु का मंदिर

Notification of the Monument - Temple of Vishnu at Bishenpur in the Manipur State, District Bishnupur, Manipur

MINISTRY OF EDUCATION

ARCHAEOLOGY

New Delhi, the 16th January 1954

S.R.O. 320.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (VII of 1904), the Central Government hereby confirms its notification No. F.4-9/52-A.2, dated the 9th July, 1952 declaring the ancient monument (temple of Vishnu at Bishenpur in the Manipur State) described in the schedule annexed to the said notification to be a protected monument within the meaning of the said Act.

[No. F.4-9/52-A.2.]

T. S KRISHNAMURTI, Under Secy.

MINISTRY OF REHABILITATION

ORDER

New Delhi, the 5th January 1954

S.R.O. 321.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 19 of the Evacuee Interest (Separation) Act, 1951 (LXIV of 1951), the Central Government hereby orders that all cases in respect of composite properties situated in the Districts of Kolhapur, Belgaum, Bijapur, Dharwar and Kanara, in Karnatak Division of Bombay State, pending before Shri D. B. Godbole, Competent Officer, Bombay, shall stand transferred to Shri M. M. Nadkarni, Competent Officer, with headquarters at Bhatkal, with effect from the 18th December, 1953 fore-noon.

[No. 52(4)/52-Prop.]

MANMOHAN KISHAN, Under Secy.

Typed copy of Original Notification

MINISTRY OF EDUCATION
ARCHAEOLOGY

New Delhi, the 16th January, 1954

S.R.O. 320 – In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (VII of 1904), the Central Government hereby confirms its notification No. F.4-9/52-A.2, dated the 9th July, 1952 declaring the ancient monument (temple of Vishnu at Bishenpur in the Manipur State) described in the schedule annexed to the said notification to be a protected monument within the meaning of the said Act.

[No. F.4-9/52-A.2]
T.S KRISHNAMURTI, Under Secy.

अनुलग्नक–III
ANNEXURE–III

संस्मारक - मणिपुर राज्य, जिला बिष्णुपुर, मणिपुर के बिषेणपुर में विष्णु के मंदिर के परिवेशीय क्षेत्र के चित्र

Images of the Monument – Temple of Vishnu at Bishenpur in the Manipur State, District Bishnupur, Manipur and its surrounding area

चित्र 1: विष्णु मंदिर के सामने का दृश्य
Image 1: The front view of Vishnu Temple

चित्र 2: मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता
Image 2: The pathway leading up to the temple

चित्र 3: पूरे संरक्षित क्षेत्र को दर्शाते हुए विष्णु मंदिर का हवाई दृश्य
Image 3: The aerial view of Vishnu Temple showing the entire Protected Area

चित्र 4: संरक्षित संस्मारक की संरक्षित सीमा
Image 4: The Protected Boundary of the Protected Monument

चित्र 5: संरक्षित संस्मारक की पहुंच सड़क
Image 5: The approach road to the Protected Monument

चित्र 6: संरक्षित संस्मारक और समीपवर्ती निर्माणों को दर्शाते हुए क्षितिज
Image 6: The skyline showing the Protected Monument and nearby constructions

चित्र 7: पूर्व की ओर बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन
Image 7: Bishnupur Police Station to the East

चित्र 8: पूर्व की ओर बिष्णुपुर न्यायालय
Image 8: Bishnupur Court to the East

चित्र 9: पूर्व की ओर प्रतिषिद्ध क्षेत्र में एक आवास
Image 9: A residence in the Prohibited Area to the East

चित्र 10: पश्चिम की ओर प्रतिषिद्ध क्षेत्र में एक आवास

Image 10: A residence in the Prohibited Area to the West

चित्र11: पश्चिम की ओर प्रतिषिद्ध क्षेत्र में एक एक मंजिला आवास

Image 11: A single storey residence in the Prohibited Area to the West

चित्र 12: उत्तरी दिशा में थोंगजाओरोक नदी जो पश्चिम से पूर्व में बहती है

Image 12: The Thongjaorok River which flows from West to East, in the Northern direction